न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूरोड
बइजलास अरविन्द शर्मा आर0ए0एस0

प्रार्थीगणः—

1 सोना पुत्र श्री मेघा आयु 50 वर्ष जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
2 लखमा उर्फ लक्ष्मण पुत्र श्री मेघा आयु 55 वर्ष जाति भील निवासी गणका
आबूरोड।
3 मफाराम पुत्र स्व. श्री भूरा आयु 44 वर्ष जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
4. नेना पुत्री स्व. श्री भूरा आयु 31 वर्ष जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
5 राधा पुत्री स्व. श्री भूरा उम्र बालिंग जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
6. लक्ष्मण पुत्र दिवाली आयु 52 वर्ष जाति भील निवासी भील बस्ती आबूरोड

अपीलाण्टगण जरिये आम मुख्यातर श्री अनिल कुमार पुत्र श्री शंकरलाल आयु 30 वर्ष जाति भील निवासी गांधीनगर आबूरोड।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. श्री मफाजी पुत्र कानाजी जाति भील उम्र 44 वर्ष निवासी गांव काकवाडा तहसील अमीरगढ जिला बनासकांठा (गुजरात)।
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत गणका तहसील आबूरोड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

प्रार्थना पत्र संख्या 12/2022

दिनांकः—06.09.2022

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक के हक में दिनांक 22.10.2010 को मौजा गणका पटवार मण्डल मानपुर तहसील आबूरोड में निम्नलिखित कृषि भूमि

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	835	1.02 बीघा	नहरी—1
2	838	4.05 बीघा	नहरी—1
3	837	02.02 बीघा	नहरी—1
	कुल किता 3	07.09 बीघा	

——2

जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के विक्रय की थी। विक्रय विलेख पंजीयन के पश्चात् उप पंजीयक आबूरोड ने पंजीयन नियम 39 के तहत विभागीय पत्र कमांक 4275–4676 दिनांक 9.7.2009 के बिन्दु संख्या 57 की पालना में पंजीयन किया एवं बिन्दु संख्या 61 के अनुसार उक्त पंजीयन शून्य होने का नोट अंकित कर दिया, जिसका मालुमात करने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या एक काकवाडा तहसील अमीरगढ, गुजरात का मूल निवासी है, जिसे उक्त कृषि भूमि कय करने का अधिकार नही होने के कारण उप पंजीयक आबूरोड ने शून्य होने का नोट अंकित किया। विक्रय विलेख शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण अप्रार्थी संख्या दो को विक्रय विलेख के समय कब्जा नही दिया एवं प्रतिफल राशि भी वापस दे दी। अप्रार्थी संख्या एक के मन मे खोट आ जाने के कारण उक्त भूमि विक्रय करने की कोशिश करने पर प्रार्थीगण को मालूम हुआ कि रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी मे अप्रार्थी संख्या एक का नाम दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण ने नामान्तकरण की नकल प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक से मिलीभगत कर विक्रय विलेख शून्य होने का पटवार द्वारा इन्द्राज करने के बावजुद नामान्तकरण तत्कालीन ग्राम पंचायत आकराभट्टा द्वारा प्रस्ताव संख्या दो दिनांक 12.06.2010 को लेकर नामान्तकरण दर्ज कर दिया है। अपील पेश करने मे उक्त कारण से देरी हुई है क्योकि प्रार्थीगण अनपढ एवं कम पढे लिखे है। जिन्हे यही ज्ञान था कि राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज है। आज से करीब दो माह पूर्व अप्रार्थी संख्या एक द्वारा भूमि विक्रय करने की कोशिश करने पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तरण की नकल प्राप्त की जो प्रार्थीगण को दिनरांक 11.4.2022 को प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि शुन्य प्रभावहीन विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर लिया है, इस कारण अपील पेश करने मे देरी हुई है।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

न्यायालय सहायक कलेक्टर

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या एक को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामिल हेतु भेजा गया परन्तु अप्रार्थी संख्या एक ने रजिस्टर्ड नोटिस लेने से मना करने के कारण अप्रार्थी संख्या एक की तामिली मानी गई। साथ ही न्यायालय मे पेशी दिनांक पर उपस्थित होने हेतु तीन तीन बार आवाज लगाने के बावजूद भी न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध एक तरफा कार्रवाई के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या दो को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त । अप्रार्थी संख्या दो की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सोहन सैन उपस्थित आये। अधिवक्ता श्री सोहन सैन ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नही कर बहस करने का कथन किया जिसे स्वीकार किया गया।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से दलील दी की, अपील पेश करने मे देरी का कारण कि हम प्रार्थीगण अनपढ एवं कम पढे लिखे है। जिन्हे यही ज्ञान था कि राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज है। आज से करीब दो माह पूर्व अप्रार्थी संख्या एक द्वारा भूमि विक्रय करने की कोशिश करने पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तरण की नकल प्राप्त की जो प्रार्थीगण को दिनांक 11.4.2022 को प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि शुन्य प्रभावहीन विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर लिया है, इस कारण अपील पेश करने मे देरी हुई है। प्रार्थीगण की दलील उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य है।

—4

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

—:: आदेश ::—

यहकि प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने मे देरी का कारण प्रार्थीगण का अनपढ एवं कम पढे लिखे होने के कारण को ध्यान रखते हुए न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड
आबूरोड (सिरोही)

आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड
आबूरोड (सिरोही)